6/7/21

आज यह पत्रावली प्रार्थी व लविन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 एवं धारा 151 CPC पेश करने पर पेशी से ली गई। प्रार्थी ने प्रा० पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी पुनः वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को मौजूदा स्टेज पर वापिस लेने का निवेदन किया। अतः वादी के प्रा० पत्र के आधार पर पुनः वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद-वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होवे।

मरबत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.01 14:32:37 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़